भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3773
दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति

3773. **डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:**
श्री एम.वी.वी सत्यनारायण:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्रीमती चिंता अनुराधा:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री एन. रेड्डप्प:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)क्या सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सुदूर पाइलट वाली विमान प्रणाली (आरपीएएस) ड्रोनों के लिए सशर्त छूट प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में सुदूर संवेदी डाटा संग्रहण के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन तैनात किए जाने की अनुमति दी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिनांक 21 मई 2020 के आदेश संख्या एवी-22011/2/2020/एसडीआईटी-एमओसीए के तहत, लोकस्ट नियंत्रण के क्रम में सुदूर पायलट वाली विमान प्रणाली (आरपीएएस) के प्रयोग हेतु, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 15 क तथा नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) के खंड-3, श्रृंखलाX, भाग-I के प्रावधानों से सशर्त छूट प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ): जी हां। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिनांक 18 फरवरी 2021 के आदेश संख्या एवी-29017/46/2020-एसडीआईटी-एमओसीए के तहत, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपज अनुमान हेतु 100 जिलों के कृषि क्षेत्र में सुदूर संवेदी डॉटा संग्रहण के क्रम में सुदूर पायलट वाली विमान प्रणाली के प्रयोग हेतु वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 15 क, तथा नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) के खंड-3, श्रृंखलाX, भाग-I के प्रावधानों से सशर्त छूट प्रदान की है।

*****